प्रारूप–2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ राजस्थान

क्रमांकः–जिशिअ/प्रा0/हनु/मान्यता/2016/1781 दिनांकः– 11/11/16

सचिव,

श्री कृष्णा चेरिटेबल ट्रस्ट,
शेरड़ा, त. भादरा,
जिला हनुमानगढ

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 30.4.2016 के आवेदन और इस संबध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश सनराईज पब्लिक स्कूल, डाबड़ी रोड, शेरड़ा (अग्रेजी माध्यम) तहः भादरा को कक्षा 1 से 8 कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ । उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित भार्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है ।
2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009(उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)के उपबंधो का पालना करेगा ।
3. विधालय कक्षा 1 में उस कक्षा के बालकों की सख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसक पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा–3में निर्दिश्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा–12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा । ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।
5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन भुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिग प्रकिया के अध्याधीन नही करेगा ।
6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती चाहा गया है
7. विधालय सुनिश्चित करेगा किः–'

(1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को ,विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नही किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नही किया जायेगा ।

(2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा

(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी ।

(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5) अधिनियम के उपबंधो के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेश आवश्यकता वाले विधार्थियों का समावेश किया जाना ।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की अधारा 23(1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विधमान अध्यापक जिनकें पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नही है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगे ।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अधीन विनिर्दिश्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है ,और

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो में नियोजित नही करेगे ।

8. विधालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठयचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा ।
9. विधालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विधालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विधार्थियों का नामांकन करेगा ।